



यह अंक

वर्ष 16, अंक 3

जुलाई से सितंबर 2009

कैसे बचेंगी बेटियां
कमला यादव

मंदी में महिलाएं

आईएसएसटी गतिविधियां
और अन्य समाचार

एक ओर तो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक विकास के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। काफी हद तक इस दिशा में सफलता भी मिली है। एक लंबे संघर्ष के बाद महिलाओं ने समाज में सम्मानपूर्वक जगह बनाई है। लेकिन दूसरी तरफ बेटों की चाह में जन्म से पहले गर्भ में ही उन्हें मार दिया जाता है।

बेटों से ही वंश चलता है। वे ही मोक्ष दिलाते हैं, बेटों की चाह में ये सामाजिक कारण तो हैं ही। दहेज, घरेलू हिंसा, लड़कियों की असुरक्षा आदि के कारण भी संतान के रूप में पुत्र का महत्त्व को बढ़ जाता है। सत्तर के दशक में गर्भस्थ शिशु के आनुवांशिक कमियों को पता लगाने के लिए एमनियोसेटेंसिस और सोनोग्राफी जैसी तकनीक आई थी। लेकिन इसका उपयोग गर्भ निर्धारण के लिए होने लगा। सन् 1996 में एक कानून द्वारा इस जांच को दंडनीय अपराध माना गया। लेकिन इसके बाद भी स्थिति गंभीर ही होती जा रही है।

इस अंक में प्रस्तुत है – कैसे बचेंगी बेटियां – पर कमला यादव का लेख।

आर्थिक मंदी के इस दौर में पुरुषों और महिलाओं के रोजगार पर अलग-अलग असर डाला है। अमेरिका और कनाडा में तो आश्चर्यजनक रूप से स्त्री-पुरुष रोजगारों में परिवर्तन आया है। इस अंक में प्रस्तुत है नवभारत टाइम्स का संपादकीय, जिससे आर्थिक मंदी के दौर में स्त्री-पुरुष रोजगार के आंकड़ों में आए परिवर्तन की जानकारी मिलती है।

इसके साथ ही आईएसएसटी में किये जा रहे विभिन्न अध्ययन – कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं और कुछ नए कामों की जानकारी भी प्रस्तुत है।

कैसे बचेंगी बेटियां

कमला यादव

भारतीय महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दशा में सुधार हुआ है और उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद समाज में अपने लिए जगह बनाई है। लेकिन इसे स्त्री जाति का दुर्भाग्य कहें या नियति। उसके अस्तित्व को खत्म करने वाली कुप्रथाएं नए रूप में उसके लिए चुनौती बनी हुई हैं। इसके लिए हमारे देश का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ढांचा जिम्मेदार है। सामाजिक मान्यतानुसार पुत्र ही पितरों को पिंडदान दे सकता है और वही पितरों को मोक्ष दिलवाने वाला होता है, इसीलिए लोग संतान के रूप में पुत्र की चाह रखते हैं।

जिंदा रहने के अधिकार का समाज द्वारा किया जाने वाला निकृष्टतम हनन कन्या भ्रूण हत्या है। परिजन और माता-पिता द्वारा अजन्मी बच्चियों का गर्भ में ही हत्या करना जघन्य अपराध है। बेटे और बेटी के बीच किया गया यह क्रूरतम भेदभाव है। संतान के रूप में बेटों की चाह के कारण आज देश में कन्याओं की भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति आम हो गई है। लोग गर्भ में पल रही बालिका भ्रूण की हत्या चुन-चुनकर कर रहे हैं। एक देशव्यापी अध्ययन में पाया गया कि गर्भ में ही हत्या किए जाने वाले एक हजार भ्रूण में से 995 भ्रूण लड़कियों के होते हैं। बदलते सामाजिक माहौल में बेटियों के प्रति उपेक्षा भाव परोक्ष रूप से बढ़ा है, अगले दशक में जनसंख्या स्थिर रखने का लक्ष्य, दो बच्चों का मापदंड, गर्भवती महिलाओं में लिंग निर्धारण की प्रौद्योगिकी और गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के आगमन से मां-बाप में कन्याओं को दूर रखने की इच्छा तीव्र हुई है।

अमीर,—गरीब, शिक्षित—अशिक्षित, ग्रामीण और शहरी सभी वर्गों में बेटों की चाह सर्वोपरि है।

संपत्ति में हिस्सा, विवाह के समय दहेज की मांग, ससुराल में उत्पीड़न, पराई समझी जाने वाली लड़कियों की शिक्षा पर व्यय की धारणा लड़कियों के प्रति विद्वेष और उपेक्षा का भाव बढ़ाने वाले कारण हैं।

वास्तव में सत्तर के दशक में गर्भस्थ शिशु के आनुवांशिक विकारों आदि का पता लगाने के उद्देश्य से एमनियोसेटेंसिस और सोनोग्राफी जैसी तकनीक का आगमन हुआ। फिर बाजारवादी ताकतों ने पुत्र चाहत की भारतीय मानसिकता को पहचाना और इसके बाद लालची चिकित्सक और परिवार की सांठगांठ से अजन्मी बच्चियों को गर्भ में ही मारा जाने लगा।

कानून की उपस्थिति से स्थितियों में बदलाव नहीं आया। 1994 में पारित प्री-नेटल डायग्नोस्टिक(रेगूलेशन एंड प्रीवेंशन) टेक्नीक एक्ट 1996 से लागू हुआ जिसमें गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु के लिंग की जानकारी प्राप्त करना एक दंडनीय अपराध है। जैनेटिक जांच के द्वारा गर्भस्थ शिशु के लिंग की जानकारी देने वाली तकनीकों के विज्ञापन पर रोक है। इन तकनीकों का इस्तेमाल गर्भस्थ शिशु के जैनेटिक विकारों का पता लगाने के लिए ही किए जाने की इजाजत है। इस अधिनियम के अंतर्गत बिना पंजीकरण करवाए आनुवांशिक क्लिनिक चलाना, परीक्षण करना अपराध है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफिक मशीन और अन्य तकनीक से जन्म से पहले लिंग परीक्षण करना—करवाना, इसके लिए सहयोग देना व विज्ञापन करना कानूनी अपराध है जिसमें तीन से पांच वर्ष तक की जेल, दस से पचास हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

लेकिन यूनिसेफ के अनुमानों को देखा जाए तो हालत निरंतर भयावह होती जा रही है। संस्था के अनुसार, हर वर्ष देश में बीस लाख कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। अकेले राजस्थान में प्रतिवर्ष लाखों गर्भपात होते हैं, जिसमें नब्बे प्रतिशत से अधिक हिस्सा बालिका भ्रूण हत्या का है। ग्रामीण विकास संस्थान और राजस्थान महिला आयोग के सहयोग से हुए सर्वेक्षण के अनुसार, राजस्थान में एक हजार पुरुषों पर आठ सौ स्त्रियां हैं। शिक्षित वर्ग में कन्या भ्रूण हत्या का प्रतिशत अधिक पाया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों से इस बात की पुष्टि होती है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्रमशः प्रति हजार पुरुषों पर 886, 874 और 898 महिलाएं हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चंडीगढ़ जैसे विकसित और शिक्षित शहर में एक हजार पुरुषों पर सिर्फ 773 स्त्रियां हैं।

समस्या कितनी गंभीर है इसकी परवाह न परिवार को है और न समाज को ही। लेकिन इसके समाधान के लिए सरकार के प्रयासों को सफल बनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सामाजिक और सामूहिक प्रयास किए जाने जरूरी है। ऐसे प्रयास रस्म अदायगी से आगे जाते हुए निरंतर और व्यापक स्तर पर होने चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए समर्पित स्वयंसेवकों की भूमिका अपेक्षित होगी। धार्मिक संगठनों के प्रयास से भी कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है। सभी धर्मों के गुरुओं, प्रचारकों द्वारा हत्या को पाप घोषित किया जाना चाहिए। इस

दिशा में जून 2001 में राजधानी में धार्मिक नेताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन में भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था। सम्मेलन में मौजूद धार्मिक नेताओं ने शपथ ली कि वे तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करके कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रचार करेंगे। कांचीपीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने इस विषय में मिलकर प्रयास करने पर बल दिया था। अप्रैल 2001 में पंजाब में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ही अकाल तख्त ने कन्या भ्रूण हत्या को सिख धर्म विरोधी घोषित किया।

कोई भी धर्म ऐसी बुराईयों का समर्थन तो नहीं करता, किंतु हमारी धार्मिक संस्थाएं कन्या भ्रूण हत्या या अन्य सामाजिक बुराईयों को दूर करने में ज्यादा रुचि नहीं लेतीं। समाज सुधार आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के बाद धीरे-धीरे खत्म हो गए। इस दिशा में अब अंतिम उम्मीद मां से है, उसकी चेतना का द्वार खटखटाया जाए तो वह अवश्य अपनी अजन्मी बच्ची को बचाएगी। जिस देश में मां अपने बच्चों के लिए बड़े-बड़े कष्ट सह जाती हो, वहां आधुनिकता और तकनीकी विकास की अंधी दौड़ में आखिर उसका ममत्व कहां लुप्त हो गया। जिस दिन गर्भवती स्त्री अपनी अजन्मी बच्ची को बचाने के लिए दृढ़ता से खड़ी हो जाएगी, उसी दिन से वह अपनी गर्भस्थ बालिका भ्रूण के जन्म के प्राकृतिक अधिकार को सुरक्षित कर देगी।

जनसत्ता से साभार

वूमेन इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट : ग्लोबलाइजिंग एंड ऑर्गनाइजिंग

पिछले दिनों सेवा भारत ने आई एस एस टी को घरेलू कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर एक परचा लिखने का काम सौंपा था। इस परचे में घरेलू कर्मचारियों के मुख्य मुद्दों और श्रम संबंधित कानूनों को सामने लाया गया, जिससे कानूनी मांगों के लिए एक मंच तैयार किया जा

सके। कुल मिलाकर वीगो प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के हित में काम के अवसरों, श्रम अधिकार, फायदे और सुरक्षा देने के लिए कानूनी वातावरण तैयार करना है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जुलाई 2009 में महिला समाख्या :प्रशिक्षण कार्यक्रम का डाक्यूमेंटेशन

20 से 22 जुलाई 2009 को कर्नाटक महिला समाख्या, बैंगलोर द्वारा राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का विषय था – 'लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना'।

उत्तराखंड सेवा निधि महिला समूहों के अनुभव – दस्तावेज

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के सात जिलों में फैले उत्तराखंड महिला परिषद् यानि लगभग 450 महिला समूहों के नेटवर्क महिला संगठन या महिला मंगल दल के अनुभवों का दस्तावेज तैयार करना है। महिला परिषद् उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण संस्थान के अंतर्गत चल रहे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, जो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के पहाड़ी गांवों में कम्युनिटी आधारित संगठनों के साथ मिलकर सन् 1988 से काम कर रहे हैं।

मई 2009 से अगस्त 2009 तक कुमांड और गढ़वाल के 14 गांव में महिलाओं से हुई बातचीत और समूह चर्चा के आधार पर समूह बनाने की

घरेलू हिंसा को कम करने में लघु बचत योजना का प्रभाव : एक अध्ययन

महिलाओं को सशक्त करने में लघु बचत एक रास्ता हो सकता है। क्या लघु बचत से घरेलू हिंसा में कमी आई है और यदि घरेलू हिंसा में कमी हुई है तो किन परिस्थितियों में ? इसकी जांच-पड़ताल के लिए भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने आईएसएसटी को इस अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी है। इस अध्ययन के लिए उत्तर भारत के हरियाणा राज्य को चुना गया। हरियाणा में रिवाड़ी, झज्जार और अंबाला में

आयोजित गोष्ठी में यह परचा प्रस्तुत किया गया।

आई.एस.एस.टी., बैंगलोर को इस कार्यक्रम का दस्तावेज करने का काम सौंपा गया। आईएसएसटी बैंगलोर ने जुलाई 2009 को इस कार्यक्रम की रिपोर्ट महिला समाख्या को सौंप दी है।

प्रक्रिया, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में उनकी कोशिशें, सरकारी सुविधाओं तक पहुंच, झगड़ों का निपटारा, राजनैतिक भागीदारी, सामाजिक और स्त्री-पुरुष संबंधों में बदलाव आदि के बारे में जानकारी एकत्र की गई।

संगठन बनाने की प्रक्रिया की नीति और चुनौतियां तथा पिछले वर्षों में हुए समूहों का विकास और विभिन्न गांवों में समूहों के संचालन की अनोखी प्रक्रिया की जानकारी भी जुटाने का प्रयास किया जाएगा। इस अध्ययन की अवधि अप्रैल से दिसंबर 2009 तक है। आईएसएसटी को यह काम सौंपा है – राजेश्वर सुशीला दयाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने।

यह अध्ययन किया गया। राज्य के लगभग 12000 स्वयं सहायता समूहों में से अध्ययन के लिए कुछ सदस्यों को चुना गया। तीनों जिलों में स्वयं सहायता समूह की कुल 202 सदस्याओं से बातचीत की गई। सर्वे के लिए भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा तैयार विस्तृत प्रश्नावली का उपयोग किया गया। संवेदनशील मुद्दों को सामने लाने के लिए यह प्रश्नावली पर्याप्त नहीं थी। अतः इसके लिए तीनों

अध्ययन क्षेत्रों में समूह चर्चा और विस्तृत बातचीत की गई। सर्वे से जुटाये गये तथ्यों के विश्लेषण का काम जारी है।

30 नवंबर 2009 को होने वाली कार्यशाला में अध्ययन के निष्कर्षों की प्रस्तुति की जाएगी।

वर्तमान रोजगार नीतियों और महिलाओं के काम पर राष्ट्रीय सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट ने 6-7 जुलाई को संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का विषय था – वर्तमान रोजगार नीतियों और महिलाओं का काम। आईएसएसटी ने इस सम्मेलन में तकनीकी सहयोग दिया। इस सम्मेलन के परचे और रिपोर्ट तैयार हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस काम के लिए आर्थिक सहयोग दिया।

सबके लिए शिक्षा

देश के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की स्थिति जानने के लिए यह अध्ययन किया गया। अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्षों की प्रस्तुति सम्मेलन में की गयी। आईएसएसटी बेंगलूर ने इस अध्ययन के अंतर्गत देश के दक्षिणी राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में किये गये अभिनव पहल पर गुणात्मक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के लिए आर्थिक सहयोग दिया है— आईडीआरसी, कनाडा ने।

पटरी पर सामान बेचने वाले : एक अध्ययन

अहमदाबाद शहर में पटरी पर सामान बेचने वाले लगभग 57,110 लोगों के बीच 'सेवा महिला ट्रस्ट' काम कर रहा है। सेवा महिला ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य शहर के बदलते परिवेश में इन लोगों की जीविका को सुरक्षित रखकर उन्हें मुख्य धारा में लाना है।

अहमदाबाद शहर में इन पटरी पर सामान बेचने वालों की सामाजिक-आर्थिक और काम की परिस्थितियों पर जीवकोपार्जन की सुरक्षा तथा योग्यता निर्माण के क्षेत्र में सेवा महिला ट्रस्ट के काम का कितना असर हुआ है, इसे समझने के लिए सेवा महिला ट्रस्ट ने आईएसएसटी को बेसलाईन और एंडलाईन सर्वे का काम सौंपा है।

सितंबर 2009 में बेसलाईन सर्वे की रिपोर्ट सेवा को सौंप दी गई है। एंडलाईन सर्वे 2011 में होगा।

आई. टी. अपग्रेडेशन के लिए सहयोग

आईएसएसटी की शोध और प्रचार-प्रसार की क्षमता बढ़ सके इसके लिए आईटी अपग्रेडेशन और आई टी प्रशिक्षण के लिए संस्था को सहयोग राशि मिली है। आईएसएसटी को यह आर्थिक सहयोग मिला है इंटरनैशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, कनाडा से।

निर्धन वर्ग के लिए बेंगलूर में आईटी की क्या सुविधायें हैं इस विषय पर आईएसएसटी, बेंगलूर में एक अध्ययन भी चल रहा है। यह अध्ययन इसी अनुदान का एक हिस्सा है।

बेंगलूर में निर्धन वर्ग के लिए आईटी सुविधायें : एक अध्ययन

इस अध्ययन के अंतर्गत बेंगलूर में निम्न आय समूह, खासकर इस वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध आईटी संबंधित कार्यक्रम और कार्यक्रमों तक उनकी पहुंच का मूल्यांकन किया जाएगा। यह अध्ययन इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर केंद्रित होगा।

इसके साथ ही अध्ययन में इस विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य की समीक्षा की जाएगी। साथ ही शहर में चल रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से चयनित कार्यक्रमों का सर्वे और मुख्य संचालकों से बातचीत की जाएगी। काम के तरीके और

कार्यक्रमों के असर को समझने के लिए कुछ प्रशिक्षार्थियों से भी बातचीत की जाएगी।

बस्ती विकास कार्यक्रम

आईएसएसटी ने सन् 2000 में पूर्वी दिल्ली में बस्ती विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तब से बस्ती के बीच आईएसएसटी के काम और गतिविधियों का लगातार विस्तार हो रहा है। जानकारी, शिक्षा और संवाद के माध्यम से युवा वर्ग को जागरूक बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए समूह चर्चा, गोष्ठियाँ, नाट्य समूह, फिल्म क्लब, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि विभिन्न गतिविधियाँ चलायी जाती हैं।

जुलाई में आईएसएसटी ने आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज और दिल्ली सरकार की योजना के अंतर्गत जेंडर रिसोर्स सेंटर की शुरुआत की है। कम्युनिटी कॉलेज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इगनू)से संबद्ध है।

समूह चर्चायें

पिछले तीन माह के दौरान मित्रता, आरक्षण और भ्रष्टाचार विषय पर समूह चर्चायें आयोजित की गईं। इस चर्चा में आस-पास की बस्तियों के किशोर वय के लड़के-लड़कियों, कम्युनिटी सेंटर के समन्वयक, कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। 'मित्रता और सच्चा मित्र कौन है' इसका अर्थ बताते हुए चर्चा की शुरुआत युवावर्ग ने की। सही रास्ता बताने वाला ही सच्चा मित्र हो सकता है, इसके साथ ही यह चर्चा समाप्त हुई।

अगली समूह चर्चा का विषय था – आरक्षण। बच्चों ने चर्चा की शुरुआत करते हुए आरक्षण पर अपने-अपने विचार रखे। तीसरी समूह चर्चा का विषय था – भ्रष्टाचार। इस समूह चर्चा के दौरान बच्चों को फूड कमिश्नर को शिकायत पत्र लिखने के लिए कहा गया। इस शिकायत पत्र में पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिलने और खराब किस्म का राशन मिलने की शिकायत की गई।

फ्री एंड ओपन सोर्स साफ्टवेयर (फॉस)और लीनक्स पर कार्यशाला

आईएसएसटी, साथी सेंटर कल्याणपुरी में 11-13 सितंबर 2009 को लीनक्स और फॉस पर तीन दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जानकारी, मीडिया और शहरी समाज के क्षेत्र में सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटी द्वारा चलाये जा रहे रिसर्च और एक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत सराय के कार्यकर्ताओं ने यह प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम में लगभग 15 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों के लिए यह एक नए तरह का अनुभव था – लीनक्स और फ्री एंड ओपन सोर्स साफ्टवेयर उन्हें कम्प्यूटर एप्लीकेशंस की दुनिया की जानकारी इकट्ठी करने की कानूनी आजादी देता है। फॉस के दर्शन और फायदे को समझने में प्रतिभागियों ने बहुत रुचि दिखायी। जीआईएमपी और ओपन ऑफिस जैसे नए सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को सीखने में भी उनकी बहुत रुचि है।

आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इगनू) के साथ आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज की शुरुआत वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की नई पहल है। इसके अंतर्गत आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज में छः-छः माह के दो सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाये जायेंगे। ये पाठ्यक्रम हैं फंक्शनल इंग्लिश कोर्स और कम्प्यूटर कोर्स। इन पाठ्यक्रमों की सफलतापूर्वक समाप्ति पर इगनू सर्टिफिकेट देगा।

इगनू द्वारा शुरु की गई इस वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य समाज के निर्धन वर्ग के युवक-युवतियों में इस तरह की योग्यता निर्माण करना जिससे वे स्थानीय उद्योग या कम्युनिटी में

सार्थक रोजगार पा सकें। आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज में जुलाई 2009 से फंक्शनल इंग्लिश का कोर्स शुरू हो गया है।

मंदी में महिलाएं

भारत में रोजगार के सटीक आंकड़े ही अभी उपलब्ध नहीं हैं ऐसी स्थिति में यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि मंदी ने यहां औरतों और मर्दों के रोजगार पर अलग-अलग कैसा असर डाला है। लेकिन अमेरिका और कनाडा में तो मंदी ने एक चमत्कार ही कर डाला है। मौजूदा साल बीतने तक इन दोनों देशों में नौकरी करने वाली औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा दर्ज की जाएगी। कनाडा में यह ऐतिहासिक घटना संपन्न हो चुकी है और अमेरिका के हालात बता रहे हैं कि अगले दो-तीन महीनों में वहां भी नौकरीपेशा पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम होगी। किसी सामान्य दौर में यह हुआ होता तो शायद नारीवादी संगठन इसे अपने संघर्ष के जयघोष में बदल देते। लेकिन अमेरिका में, जहां हर दस में से एक व्यक्ति अपनी रोजी-रोटी खोकर बेकार पड़ा है, इस सूचना का कोई खास मतलब नहीं है। पिछले एक-डेढ़ वर्षों में वहां पुरुष बाहुल्य वाले मेहनत मशक्कत के काम-धंधों में सबसे ज्यादा छंटनी हुई है, जबकि स्त्री बहुलता वाले शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में छंटनी के बजाय थोड़ी-बहुत नौकरियां बढ़ी ही हैं। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटी में और कुछ कारखानों में देखरेख से जुड़ी नौकरियों में पुरुष कामगारों को निकाल कर उनसे कम पगार पर काम करने को राजी स्त्रियों को कांट्रेक्ट पर रख लिया गया है। इसमें सचमुच ऐतिहासिक कहलाने लायक कोई बात होती तो इसका श्रेय

मोबाईल रिपेयरिंग प्रशिक्षण

जनशिक्षण संस्थान के सहयोग से साथी सेंटर में मोबाईल मरम्मत का प्रशिक्षण दिया गया। तीन माह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त से हुई। इस प्रशिक्षण में कल्याणपुरी साथी सेंटर से 23 बच्चों ने हिस्सा लिया।

अब से पैंसठ साल पहले, यानी द्वितीय विश्वयुद्ध के ठीक बाद पूर्व सोवियत संघ की औरतों को जाता, जो लड़ाई में देश के ज्यादातर पुरुषों के मार दिए जाने या अपंग हो जाने के कारण कई वर्षों तक देश की तीन चौथाई से भी ज्यादा नौकरियां संभाल रही थीं। कनाडा और अमेरिका की नौकरियों में औरतों का आगे निकलना एक आपातकालीन व्यवस्था है, जो मंदी बीतने के साथ पहले जैसी ही होती जाएगी। कुछ साल पहले ब्रिटेन में किया गया एक अध्ययन बताता है कि हर मंदी के बाद नौकरियों में स्त्री-पुरुष अनुपात पहले से थोड़ा बेहतर होता जाता है। इस अध्ययन के अनुसार 1959 से 1999 के बीच वहां कामकाजी उम्र के पुरुषों का प्रतिशत 94 से गिरता हुआ 79 पर आ गया था जबकि इसी अवधि में स्त्रियों के मामले में यह प्रतिशत 47 से बढ़कर 67 तक पहुंच गया था। घर से निकलकर कारखानों और दफ्तरों में काम करने वाली औरतों की संख्या अगड़े-पिछड़े सभी देशों में लगातार बढ़ रही है और मंदी के झटके हर बार इसमें कुछ न कुछ मदद ही पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके समानांतर उनके लिए कार्य स्थितियां सुधारने और समान काम के लिए पुरुष सहकर्मियों के समान वेतन देने में समाज की रूढ़िवादी सोच उतनी तेजी से नहीं बदल रही है।

नवभारत टाइम्स से साभार

जेंडर पॉलिसी फोरम

आईएसएसटी और आईएचसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जेंडर पॉलिसी फोरम के 16 वें सत्र का आयोजन 4 अगस्त 2009 को हुआ। यह आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर के कैजुरीना सभागार में हुआ। विषय था : 'स्टेट, मार्केट, फैमिली : एन एक्सप्लोरेशन ऑफ एशियन वाइव्स' कंट्रीब्यूशन टू देयर हाउसहोल्ड इन्कम इन द युनाइटेड स्टेट्स।' स्टेट युनिवर्सिटी अरकनसास, यूएसए के जॉर्जरफी, सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी की डॉ. वीना एस. कुलकर्णी प्रमुख वक्ता थीं। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक, फायनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली की फैलो (एसोसिएट प्रोफेसर) डॉक्टर लेखा चक्रवर्ती ने इस चर्चा में प्रमुख रूप से हिस्सा लिया।

अन्य समाचार

अबोध बच्चों पर कुपोषण की मार

यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विकासशील दुनिया में पांच साल से कम उम्र के करीब बीस करोड़ ऐसे बच्चे हैं, जिनका विकास कुपोषण के कारण रुक गया है। इस 'ट्रैकिंग प्रोग्रेस ऑन चाइल्ड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन' नामक स्टेट्स रिपोर्ट के आधार पर अगर भारत और अन्य विकासशील देश मां और बच्चे के कुपोषण की वजहों को दूर नहीं करते तो आने वाले समय में बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।

भारत और विश्व

विकासशील देशों में हर साल जन्मे कम वनज वाले 1.9 करोड़ बच्चों में 74 लाख अकेले भारत के होते हैं।

विकासशील दुनिया के 80 प्रतिशत अविकसित बच्चे 24 देशों में रह रहे हैं।

कुपोषण से अविकसित बच्चों के मामले में अफगानिस्तान पहले नंबर पर और भारत का नंबर बारहवां है।

बांग्ला—देश, भारत, तिमोर—लेस्ते, और यमन में कम वजन वाले कुपोषित बच्चों की दर सबसे ज्यादा 40 प्रतिशत से भी अधिक है।

क्या कहती है रिपोर्ट

बच्चों का विकास रुकने की बड़ी वजह बचपन में कुपोषण है। यह पांच साल से कम उम्र की बच्चों में एक—तिहाई मौतों की बड़ी वजह भी है।

गर्भ में आने के बाद से बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक की अवधि (करीब 1,000 दिन) बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं।

पांच साल से कम उम्र के अंडरवेट बच्चों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा। इनमें से एक तिहाई पर मौत का खतरा।

भारत में कुपोषण की वजह से अविकसित बच्चों की ज्यादा तादाद का कारण आबादी अधिक होना है।

रोकथाम क्यों जरूरी

यूनिसेफ प्रमुख एन एम वेनमैन के अनुसार कुपोषण से बच्चे की शक्ति कम पड़ जाती है और वह बीमार रहता है। इससे शरीर और कमजोर हो जाता है।

निमोनिया, डायरिया और अन्य रोगों से मरने वालों में एक—तिहाई से ज्यादा अगर कुपोषण का शिकार न हों तो उन्हें बचाया जा सकता है।

इतने बड़े स्तर पर कुपोषण की मौजूदगी को पब्लिक हैल्थ इमरजेंसी के तौर पर लेना होगा। इमरजेंसी फीडिंग प्रोग्राम से तुरंत दखल देने की जरूरत है।

नवभारत टाइम्स(पीटीआई)से साभार

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6—ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003 द्वारा प्रकाशित। संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज—सज्जा :मो. नसीम आरिफ। ई—मेल : isstdel@isst-india.org

वेबसाइट: www.isst-india.org फोन : 91—11—47682222